हैं वे यहां से थोड़े समय के लिए जाते हैं। वहां पर हमारे दूतावास हैं और दूतावास जो हैं एक ऐसी मशीनरी है जिसके माध्यम से बेलट पेपर को बाई पोस्ट भेजने का प्रबन्ध किया जा सकता है । क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि विभिन्न मन्त्रालयों जिनका सम्बन्ध वोटिंग से है फायनेंस डिपार्टमेंट, फारेन अफेयर्स डिपार्टमेंट या जो ला डिपार्टमेंट है इन सब डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट अधिकारियों की एक कमेटी बनाएगी जो इस बात की जांच करके यह बताए कि फारेन में जो हमारे देश के नागरिक गये हैं टेम्पोरेरी रूप से गये हैं और इण्डियन सिटीजनशिप रिटेन करते हैं उनको वोट देने का हक कैसे प्रदान किया जाए । क्या इसके लिए कोई कमैटी गठित करेंगे ?

श्री हंसराज भारद्वाज : श्रीमन, जहां तक भारत के निवासी जो भारत से बाहर रहते हैं उनको वोटिंग राइट देने का प्रश्न है सरकार का यह निश्चय है कि यदि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा सिस्टम निकाल ले जिसके जरिये यह लागू किया जा सके तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि इलेक्शन कमीशन जब तक ऐसी कोई मशीनरी नहीं बनाएगा जहां से वोटिंग करा कर उनका रिजल्ट यहां भारत में भेजा जा सके या पोस्टल बैलट के जरिये हो सके —अर्थात यह सब इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर आधारित है इस पर हम लोगों ने विचार नहीं किया है । हम यह कह चुके हैं कि जब अपोजीशन पार्टीज, इलेक्शन कमीशन और सरकार बैठ करके इस विषय पर बात करेंगी तो इस पर जरूर निर्णय लिया जायेगा । इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं । जब कोई भारतवासी देश से बाहर जाकर रहता है और वहां पर रहकर वह भारत की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी लेता है तथा जिस मुल्क में रहता है वहां की राजनीति में और धाराप्रवाह में ज्यादा नहीं रहता है तो उस मुल्क को भी आपत्ति होती है । ये सब सेंसिटिव इश्यूज हैं इसलिए सरकार सब बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी, ज्यादा हेस्टी डिसिजन नहीं लिया जा सकता है ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि एक आदमी जो विदेश में इंग्लैंड का नागरिक था उसको उत्तर प्रदेश में विधान सभा का चुनाव लड़ाया गया और वह जीत गया ?

श्री रामानन्द यादव : यह सवाल कहां से उठता है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : सवाल से ही उठता है ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : विदेशी नागरिकों को अधिकार देने का सवाल है यह आपसे कह रहा हूं । वह जीत गया । है (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Other people don't comment on the question. Please let the Minister answer.

श्री हंसराज भारद्वाज : यह विदेशी नागरिकों का सवाल है । हम भारतीय मूल के निवासी जो बाहर रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश कुशवाहा : भारतीय मूल के ही आदमी को ही कह रहा हूं जो विदेश में नागरिक था । . . . . (**व्यवधान**) भारतीय मूल का ही निवासी है, किसी विदेशी मूल का आदमी थोडी है . . . ।

चुनाव पर खर्च

*163. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं और थोड़े संसाधनों वाले उम्मीदवारों तथा दलों के लिए इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना बहुत कठिन हो गया है;

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shankar Sinh Vaghela.

(ख) हाल में लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के लिए कराए गए चुनावों के दौरान निम्नलिखित में प्रत्येक द्वारा खर्च की गई अनुमानित धनराशि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है :—

1. भारत सरकार द्वारा;
2. राज्य सरकारों द्वारा;
3. राजनीतिक दलों द्वारा; तथा
4. उम्मीदवारों द्वारा; और

(ग) चुनाव को कम खर्चीला बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि कोई वर्षों से निर्वाचन संबंधी व्ययों में बढ़ोतरी हो रही है ।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) निर्वाचन संबंधी व्ययों में हुई वृद्धि साधारणतया प्रचार सामग्री, यात्रा आदि के बढ़े हुए खर्च के कारण है । इन्हीं कारणों से निर्वाचन कराने संबंधी प्रशासनिक व्यय में भी वृद्धि हुई है । निर्वाचन सुधारों के भागरूप ही सरकार का यह प्रयास होगा कि वह राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करें और जहां तक संभव हो निर्वाचन व्ययों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करे ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा दिसंबर, 1984 में हुए लोक सभा निर्वाचनों में उपगत व्यय अनुमानतः 58.70 करोड़ रुपए है और इसमें (1) आंध्र प्रदेश, (2) गुजरात, (3) मध्य प्रदेश, और (4) महाराष्ट्र राज्यों द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित नहीं हैं । इन राज्यों से आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

हाल ही में 11 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में हुए राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय संबंधी जानकारी उनसे अभी प्राप्त होनी है । जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

यह बताना साध्य नहीं है कि राजनीतिक दलों द्वारा कितना व्यय किया गया है क्योंकि निर्वाचन विधि के अधीन राजनीतिक दलों से अपने निर्वाचन व्यय का विवरण दाखिल करने की अपेक्षा नहीं की गई है ।

जहां तक अभ्यार्थियों का संबंध है, निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि लोक सभा निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा उपगत निर्वाचन व्यय दर्शित करने वाले विवरण, जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन अपेक्षित हैं, अनेक जिला निर्वाचन आफिसरों/रिटर्निंग आफिसरों से अभी प्राप्त होने हैं ।

श्री शंकर सिंह वाघेला : माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है सब से पहले तो वह पूरा नहीं है। एक एम० पी० या एम० एल० ए० सत्यमेव जयते के नाम के नीचे आकर जो अपना स्टेटमेंट करता है कि मैं सच बोलूंगा तो सब से पहला काम ही वह झूंठ लिखने का करता है कि मैंने जो खर्च किया है इतना ही किया है इस से ज्यादा नहीं किया है...

श्री अश्विनी कुमार : राज्य सभा में नहीं लोकसभा में।

श्री शंकर सिंह वाघेला : आजकल जिस ढंग से चुनाव का खर्चा चलता है इसके चलते सामान्य आदमी के यहां पहुंचने का सपना कभी पूरा होगा या नहीं यह मैं नहीं कह सकता हूं। मेरा पहला प्रश्न है कि गवर्नमेंट ने 58 करोड़ 70 लाख का जो खर्च किया है इस में माननीय प्रधान मंत्री जी का टूर में कितना रुपया खर्च हुआ ?

दूसरा कुछ राज्यों में आपने अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं की है वह कब तक प्राप्त करेंगे। कुछ राष्ट्रों के अंदर चुनाव का जो सिस्टम है उस सिस्टन में गवर्नमेंट, रिकगनाइज्ड पार्टीज को इक्नामिकल एड देती है, बाकी साधन देती है तो क्या भारत सरकार रिकगनाइज्ड पार्टीज को या कैंडीडेट्स को मदद करेगी? क्या कांग्रेस "आई" ने एडवर्टाइजमेंट के पीछे हमने सुना है कि मोर देन 40 करोड़ रुपया खर्च किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस "आई" ने एडवर्टाइजमेंट के जरिए कितना खर्च किया है?

श्री हंस राज भारद्वाज : श्रीमन्, जहां तक खर्चे का ताल्लुक है रूल 90 में सीमा निर्धारित है। इस में कोई कैंडीडट ज्यादा खर्चा करता है वह चाहे अपनी जेब से खर्च करे या दूसरी जगह से खर्च करे इस में सरकार का वहां ताल्लुक है कि वह क्यों ज्यादा खर्च करता है, किस लिए करता है। जहां तक सरकार ने कानून बनाया है तो उस में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां कम खर्चा है और कहीं ज्यादा खर्चा और फेक्ट यही है कि जिस में ज्यादा खर्चा होने के इमकान हैं उस में हमने ज्यादा दे दिया है। लेकिन अगर सब यह तय कर लें कि हमने ज्यादा खर्चा नहीं करना है तो ज्यादा खर्चा कैसे हो सकता है। यह सब हम लोगों को निर्णय लेना है सरकार इसके लिए ओपन माइंड है। इस में आप कोई भी सुझाव दे सकते हैं कि खर्चा कैसे कम होगा। लेकिन इसमें एक पार्टी का विशेष रूप से नाम लेना मैं सर्वथा अनुचित समझता हूं। सारी पार्टियां हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, इस में सारी पार्टियां अपना हृदय टटोलकर देखें कि वे पैसा खर्च करती हैं या नहीं करती हैं? तब लोग चाहे राज्य सभा में न हों, लोक सभा की जितनी, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजीशन पार्टीज हों, यह एक पार्टी के बंद करने से कम नहीं हो सकता कोई भी पार्टी इस बात में पीछे नहीं रहती है कि वह ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे और चुनाव में जीत हासिल करे। इस प्रकार का कहना कि कांग्रेस (आई) ने यह खर्च किया, वह खर्च किया, इसका मैं जबाव नहीं दे सकता। यह तो एक पोलिटीकल क्वेश्चन है, जो कि आप पोलिटीकल रीजन्ज की वजह से कह रहे हैं। लेकिन जहां मैं समझता हूं कि इस खर्चे को कैसे कम किया जाना चाहिए, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, अगर आप सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से विचार करना चाहते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आइये, बैठिये हम इस पर विचार करने को तैयार हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला : : माननीय सभापति महोदय रेडियो टी० वी० में जिस ढंग से प्रचार होता है, बहुत ताज्जुब होता है कि वह वनसाइडड होता है, समय आप देते हैं।... (**व्यवधान**) यह जो इलैक्शन सिस्टम के बारे में आप सोचने जा रहे हैं सब पार्टीज का कंसेंस लेकर जैसे एंटी डिफैक्शन बिल लाकर आपने किया तो इस में आप इलैक्शन सिस्टम के बारे में कब तक इसके बारे में सोच कर कितने समय में कोई नए इलैक्शन सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं या इसमें सुधार करने का आप सोच रहे हैं?

श्री हंसराज भारद्वाज : इलैक्शन कमीशन जब भी चाहे इस विषय पर पार्टीज को बुलाकर बात कर सकता है और पोलिटीकल पार्टीज इसको तुरन्त से तुरन्त शुरु कर दें।... (**व्यवधान**) इलैक्शन के बारे में सरकार कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले सकती इलैक्शन कमीशन की गाइडेंस के बगैर। आप लोग जानते हैं कि देश में इलैक्शन करवाना, किस प्रकार से इलैक्शन हों और इलैक्शन साफ-सुथरे हों, यह सारा काम इलैक्शन कमीशन का है। जहां तक सरकार का एटीच्यूड है, मैं आप से अर्ज कर चुका हूं कि सरकार इस विषय पर तुरन्त बैठने के लिए तैयार है, जैसा कि हमने एंटी डिफैक्शन बिल पर आपके साथ बैठकर विचार किया। इस विषय पर भी मैं आप से कहता हूं कि आप जिस तिथि को भी चाहें, एक डेट निश्चित कर लीजिए और हम इस पर विचार करने के लिए शीघ्र से शीघ्र तैयार हैं। आप लोग यह न समझिये कि हम लोग राजनीतिक प्रणाली को साफ-सुथरा रखने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं,

क्योंकि हम रूलिंग पार्टी से हैं। हम रूलिंग पार्टी से हैं और सब से पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम राजनीति को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं। हम आपको विश्वास दिला दें, अगर आप इस में सहयोग देंगे और आप सही दिल और दिमाग से सहयोग देंगे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत छोटा सवाल है और हम इसको जल्दी ही हल कर लेंगे।

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Sir, the statement laid on the Table of the House by the Minister shows that in 1984 in Lok Sabha Elections alone Rs. 58.70 crores were spent, excluding the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra etc. If we take into account all States and also the elections to State Assemblies and the local bodies, I think the expenditure will be not be less than Rs. 500 crores. A poor country like India cannot afford such huge amounts on the elections when we cannot provide even elementary requirements of the people—like drinking water, food and shelter to the poor people in the villages. So I would like to know from the Minister whether the Government of India is thinking of having electoral reforms as suggested by Shri Jayaprakash Narayan. Certain suggestions have been made for electoral reforms to minimise the expenditure. Even the Election Commission has made certain suggestions for electoral reforms so that the huge expenditure that is being incurred by the Government, the parties and the candidates may be minimised. I would like to know from the Minister whether he is seriously thinking of having electoral reforms as suggested by the Jayaprakash Narayan and the Election Commission.

SHRI ASOKE SEN: There are two aspects of the matter. One is the expenditure incurred by the parties and the individual candidates. With regard to that my colleague has fully answered. The other is about expenditure which is necessary to be incurred by the Government, by the Election Commission and also the State Governments concerned, for conducting Assembly elections. Now, so far as the necessity for an impartial election is concerned, that is a mandate of the Constitution. Every five years we must have elections to Parliament, every five years we must have elections to the State Assemblies unless sooner as Assembly or Parliament is dissolved. Now, therefore, the minimum expenditure necessary for preparing the ballot papers, for preparing the electoral rolls, for various advertisements and publicity and, then, mobilising the entire civil service for the purpose of making possible an impartial election every five years, is a matter on whcih there can be no debate. Expenditure with regard to that is a matter of arithmetic, and the parties can find it out. There are State parties, there are all-India parties, there are parties ruling the States, there are parties ruling the Centre. Therefore, they will have to find out what is the minimum expenditure necessary for the Government.

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Bhandare.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: I said, electoral reforms as suggested by Jayaprakash Narayan. He has not answered my question about electoral reforms in order to minimize the expenditure.

MR. CHAIRMAN: He has dealt with the answer.... (*Interruptions*)....

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: What is the use of my putting the question?

MR. CHAIRMAN: He is replying. You are very important, Mr. Reddy. I was myself going to ask what is the reply to this question. Now, what is your attitude to electoral reforms?

SHRI ASOKE SEN: Sir, the question has already been answered that the Election Commission is suggesting the question of electoral reforms, and as soon as the suggestions come to us the parties will be called as the tradition is.... (*Interruptions*) On the point whether we have a Bill ready for electoral reforms, we have no such Bill ready.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Mr. Chairman, Sir, the process of free and fair elections in our country is indeed a matter of pride for us, and I must enter a caveat for those who think that money plays a big role in elections, because the elections of 1977, 1980 and 1984 have proved that expenditure beyond a point is counter-productive. However, there is a need for urgent electoral reforms in this field. We have a large number of frivolous Independent candidates who have neither stature nor status who just put in their nominations. We have seeen ballot papers running into several feet which couldn't be even put into the ballot boxes. Therefore, the question which I am asking is in regard to all these things. Is there a proposal to eliminate such frivolous Independent candidates not backed by any political party? A proposal which the Election Commission has been making, time and again, is of State funding in the matter of making use of minimum publicity material, providing rostrums for public meetings where all parties could share them turn by turn. I want to know whether these proposals are there (1) as regards elimination of frivolous Independent candidates from the arena and (2) for State funding for minimum publicity for all the political parties.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I have heard a suggestion at least. Sir, so far as elimination of frivolous Independent candidates is concerned, this suggestion has come and we are applying our mind as to how we can eliminate such candidates. There have been writ petitions, there has been litigation on this issue in the Presidential election and other elections. But these issues have now been answered by courts and we are applying our mind to it—how to eliminate such candidates. About State funding, at the moment there is no proposal with us, and the moment such a proposal comes from the Election Commission we shall apply our mind to it.

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, उत्तर के "ग" में कहा गया है--"निर्वाचन सुधारों के भाग रूप ही सरकार का यह प्रयास होगा कि वह राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करे और जहां तक संभव हो निर्वाचन व्ययों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करे।" तो इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक दलों से किस प्रकार परामर्श किया जाएगा, उसकी कोई रुपरेखा बनाई गई है अथवा नहीं और परामर्श का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री हंसराज भारद्वाज : श्रीमन्, इलैक्शन कमीशन की इण्डीपेंडेंस के बारे में कोई किसी को शक-शुबहा नहीं होनी चाहिए। और कोई यह मान कर नहीं चलता कि इलैक्शन कमीशन इंडिपेंडेन्ट नहीं है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इस के बारे में विचार हो सकता है जब इलैक्शन इलैक्टोरल रिफार्म्स के बारे में पोलिटिकल पार्टीज से विचार होता है।

श्री सूरज प्रकाश मालवीय : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न यह है कि .....

MR. CHAIRMAN: That is all right. That is the answer he has given. Please sit down.

श्री सूरज प्रसाद : दुनिया में बहुत से डैमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां चुनाव का खर्च सरकार सहन करती है। ऐसे देश हैं पश्चिमी जर्मनी और जापान। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि अगर पश्चिमी

जर्मनी और जापान में चुनाव के खर्च को सरकार वहन कर सकती है तो भारत में सरकार को इस तरह की व्यवस्था करने में क्या दिक्कत है । दूसरे, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पार्लियामेंट चुनाव के दौरान करीब-करीब 700 करोड़ रुपया खर्च हुआ है । क्या यह बात सरकार की जानकारी में है ? सरकार ने यह बात कही है कि चुनाव के खर्च के लिए एक सीमा निर्धारित है । क्या सरकार को यह खबर है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी ने 6 लाख से 12 लाख रुपये तक दिया ?

श्री हंसराज भारद्वाज : श्रीमन्, यह बात कहना सर्वथा निरर्थक है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या खर्च किया या नहीं किया । सवाल यह है कि किस प्रकार इलेक्शन की प्रोसेस को कम खर्चीला बनाया जाये और इस में केन्द्र सरकार क्या सहायता दे सकती है । आपने अभी कहा कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट आ जाते हैं । अगर सरकार चुनाव का खर्च देने लगे तो एक-एक हजार कैंडीडेट हर कांस्टीटुएंसी में हो जायेंगे । आपने दूसरे देशों की प्रणाली की बात कही हमारे यहां की डेमोक्रेटिक प्रणाली में यह चीज कभी नहीं हो सकती कि सरकार चुनाव का सारा खर्च दे जब तक कि आप पूरे कानून को ही न बदल दें । आप लोग इस बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दें, माननीय सदस्य भी सुझाव दें और पोलिटिकल पार्टीज भी सुझाव दें और सर्वसम्मति हो जाय तो इस प्रश्न पर विचार हो सकता है ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : श्रीमान, मेरे प्रश्न के तीन भाग हैं जो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं । पहली बात यह कि क्या राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों उस में राजनीतिक दलों द्वारा किया हुआ खर्च, उनके मित्र और रिश्तेदार द्वारा किया गया खर्च भी शामिल है । कानून में संशोधन करके चुनाव खर्च में यह सब खर्च शामिल करने को तैयार हैं ? दूसरे चुनाव के खर्च को कम करने के लिए क्या लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ करने को तैयार हैं या नहीं ? तीसरे क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने को तैयार है कि जिन उम्मीदवारों ने राजनीतिक दलों के चुनाव-चिन्ह अपने नामिनेशन फार्म में भरे हैं । जिस एक व्यक्ति को राजनीतिक दल ने टिकट दे दिया या अपना चुनावचिन्ह अलाट कर दिया, बाकी लोगों के नामजदगी फार्म अपने आप वापस लिये समझे जायेंगे । ऐसा प्रस्ताव क्या सरकार के सामने आया है या नहीं ?

श्री हंसराज भारद्वाज : जहां तक पर्सनल एक्सपैंसेज का और पार्टी एक्सपैंसेज का सवाल है, आज जो कानून से उस में संशोधन के बारे में सरकार के सामने कोई प्रपोजल नहीं है । लोकसभा और स्टेट असेम्बली के चुनाव को इकट्ठा करने के बारे में भी पोलिटिकल डिसीजन होता है और समय पर ही होता है । अब तो हो चुका है ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : आगे का बताइये ।

श्री हंसराज भारद्वाज : आगे का मैंने बता दिया । परम्परा रही है कि हम सब पोलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर जो फैसला करते हैं वही लागू किया जा सकता है । सरकार यूनीलेटरल डिसीजन नहीं लेती . . .

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : आप सरकारी पार्टी की ओर से पहल करेंगे ?

श्री हंसराज भारद्वाज : मैं सरकारी पार्टी की तरफ से जवाब नहीं दे रहा हूं ।

MR. CHAIRMAN: Please do not reply to the interruptions. I want to give an advice to Ministers. Do not reply to the interruptions please. Reply to the original supplementary.

The question has been discussed threadbare.

Next question.